निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 श्रावण 1940 (श0)

(सं0 पटना 733) पटना, मंगलवार, 31 जुलाई 2018

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

23 जुलाई 2018

सं०वि०स०वि०–12/2018–4505/वि०स०—''बिहार मद्यनिषेघ और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2018,'' जो बिहार विधान सभा में दिनांक 23 जुलाई 2018 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियामावली के नियम 116 के अर्न्तगत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,

राजीव कुमार,

प्रभारी सचिव।

(वि०स०वि० 6, 2018)

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2018

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 20, 2016) का संशोधन करने के लिये विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।– (1) यह अधिनियम बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगा तथा संशोधन अधिनियम के प्रावधान सभी लंबित वादों पर लागू होगा।

2. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–2 का संशोधन।– बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–2 की उप–धारा (58) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

''(58) ''परिसर'' से अभिप्रेत है और इसमें शामिल हैं भूमि तथा भवन, भंडागार, दूकान, होटल, रेस्तरा, बार, बूथ के रूप में निर्माण किया गया अथवा कोई अन्य संरचना और चल संरचना जिसमें जलयान, बेड़ा, वाहन तथा कोई भी अन्य चल संरचना है।''

3. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–30 का प्रतिस्थापन।– बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–30 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा –

''30 किसी मादक द्रव्य या शराब के अवैध विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, कब्जा, विक्रय, क्रय, वितरण आदि के लिए शास्ति।– जो कोई भी, इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम के किसी प्रावधान अथवा उनके अधीन किए गए आदेश एवं अधिसूचना के उल्लंघन में अथवा इस अधिनियम के अधीन निर्गत विधिमान्य अनुज्ञप्ति, परमिट या पास के बिना अथवा नवीकृत किसी अनुज्ञप्ति, परमिट या पास अथवा उसके अधीन दिए प्राधिकार की किसी शर्त्त के उल्लंघन में –

(क) किसी मादक द्रव्य, शराब या भांग का विनिर्माण करता है या उसे रखता है या उसका क्रय, विक्रय, वितरण, संग्रहण, भंडारण, बोतलबंद, आयात, निर्यात, परिवहन, हटाता अथवा खेती करता है, अथवा

(ख) किसी विनिर्माणशाला, आसवनी (डिस्टीलरी) मद्य निर्माणशाला (ब्रेवरी) या भंडागार का निर्माण या स्थापित करता है या उसमें कार्य करता है, अथवा

(ग) किसी मादक द्रव्य या शराब के विनिर्माण के प्रयोजनार्थ किसी सामग्री, बर्तन, उपकरण या साधित्र का विनिर्माण या उपयोग करता है या अपने कब्जे में रखता है या परिसर का उपयोग करता है, अथवा

(घ) किसी सामग्री या फिल्म चाहे राज्य सरकार के लोगो के साथ हो अथवा बगैर अथवा किसी अन्य राज्य के लोगो अथवा रैपर या कोई अन्य वस्तु जिसमें शराब या मादक द्रव्य पैक किया जा सकता हो या किसी शराब या मादक द्रव्य के पैकिंग के प्रयोजनार्थ किसी साधित्री या उपकरण या मशीन का विनिर्माण करता है, अथवा

(ङ) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त, स्थापित, प्राधिकृत या विद्यमान किसी आसवनी, मद्य निर्माणशाला, भंडागार या भंडारण के अन्य स्थान से किसी शराब या मादक द्रव्य को हटाता है, अथवा

(च) किसी मादक द्रव्य या शराब का उपयोग करके या उसके बिना की गई किसी निर्मिति का विनिर्माण, विक्रय, वितरण, बोतलबंद, आयात, निर्यात, परिवहन करता है या उसे हटाता है या कब्जे में रखता है जिसे अल्कोहल अथवा अल्कोहल के लिए एक प्रतिस्थानी के रूप में परोसा जा सकता हो अथवा नशा उत्पन्न करने के प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया हो अथवा किया जा सकता हो या उपभोग किया गया हो, वह उस अवधि के लिए जिसे आजीवन कारावास तक बढाया जा सकेगा और उस जुर्माने से जिसे 10 लाख रुपये तक बढाया जा सकेगा, दंडनीय होगा,

परंतु सजा –

(क) प्रथम अपराध के लिए पाँच वर्ष के कारावास से कम और एक लाख रुपये के जुर्माने से कम नहीं होगा, और

(ख) द्वितीय अपराध और पश्चात्वर्त्ती अपराधों के लिए, दस वर्षों का कठोर कारावास से कम तथा पाँच लाख रुपये के जुर्माने से कम नहीं होगा।''

4. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–32 का प्रतिस्थापन।– बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–32 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

'' 32 कुछ मामलों में अपराध करने के बारे में अनुमान।–

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियोजन में, अभियुक्त व्यक्ति को किसी शराब, मादक द्रव्य या ऐसी शराब के विनिर्माण या भंडारण में अंतर्ग्रस्त सामग्री, बर्तन, उपकरण या साधित्री का कब्जा रखने का लेखा–जोखा देना होगा।

(2) संतोषप्रद स्पष्टीकरण देने में असफल रहने पर यह उपधारणा की जाएगी कि अभियुक्त व्यक्ति, जबतक कि अन्यथा साबित नहीं हो जाता, अपराध कारित करने का दोषी है।

(3) जहाँ किसी उपकरण, मशीनरी, जानवर, जलयान, गाड़ी, वाहन, सवारी या किसी परिसर का उपयोग इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित करने में किया जाता है और अधिहरण के दायी हों और या मुहरबंद (सील) करने के दायी हों वहाँ उनका स्वामी या अधिभोगी को संतोषप्रद रूप में लेखा–जोखा देना होगा और संतोषप्रद स्पष्टीकरण के अभाव में यह उपधारणा की जाएगी कि अभियुक्त व्यक्ति ने, जबतक अन्यथा साबित न हो जाय, अपराध कारित किया है। ''

5. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–33 का प्रतिस्थापन। – बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–33 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

''33 विकृत स्प्रीट को मानव उपभोग के लिए उपयुक्त बनाने के लिए शास्ति।– जो कोई भी किसी विकृत स्प्रीट को, मानव उपभोग, के लिए उसे उपयुक्त बनाने के आशय से, चाहे पेय के रूप में या दवा के रूप में अथवा किसी अन्य रीति या पद्धति से परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है अथवा किसी परिवर्तित विकृत स्प्रीट को जान बूझकर रखता है वह उस अवधि के कारावास के लिए जो दस वर्षों से कम न होगी किंतु जिसे आजीवन कारावास तक बढाया जा सकेगा तथा उस जुर्माने से, जो एक लाख रुपये से कम न होगा किंतु जिसे दस लाख रुपये तक बढाया जा सकेगा, दंडनीय होगा।''

6. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 की धारा–34 का प्रतिस्थापन।–बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–34 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

''34 शराब के साथ हानिपूर्ण पदार्थ मिलावट करने के लिए शास्ति।– जो कोई भी, (क) अपने द्वारा विनिर्मित अथवा कब्जे वाली या विक्रय की जाने वाली किसी शराब के साथ किसी हानिपूर्ण ड्रग अथवा जहरीले अवयवों को मिलाता है अथवा मिलाने की अनुज्ञा देता; अथवा

(ख) ठोस, अर्ध ठोस, द्रव, अर्ध द्रव अथवा गैसीय या तो स्थानीय रूप से अथवा अन्यथा बनी हुई कोई निर्मिति बनाता या बिक्रय करता है या अपने कब्जे में रखता है जिसे अल्कोहल के रूप में अथवा अल्कोहल के प्रतिस्थानी के रूप में सेवन किया जा सके और मादकता प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ उपयोग या उपभोग की जाती हो जो मानव को निःशक्तता या घोर गंभीर उपहति अथवा मृत्यु कारित करने जैसी हो, वह निम्नलिखित से दंडनीय होगा–

(i) ऐसे कार्य के परिणामस्वरूप यदि मृत्यु होती है तो मृत्यु अथवा आजीवन कारावास की सजा तथा उस जुर्माने का दायी भी होगा जो पाँच लाख रुपये से कम नहीं होगा किंतु जिसे दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा;

(ii) ऐसे कार्य के परिणामस्वरूप यदि किसी व्यक्ति को निःशक्तता अथवा घोर उपहति होती है तो उस अवधि के लिए कठोर कारावास जो दस वर्षों से कम नहीं होगी किंतु जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा तथा उस जुर्माने से जो दो लाख रुपये से कम नहीं होगा किंतु जिसे दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा;

(iii) ऐसे कार्य के परिणामस्वरूप यदि कोई अन्य परिणामिक चोट किसी व्यक्ति को कारित होती है तो उस अवधि के लिए कारावास, जो आठ वर्षों से कम नहीं होगी किंतु जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा तथा उस जुर्माने से जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा किंतु जिसे दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा;

(iv) ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप यदि कोई चोट कारित नहीं होती है तो उस कारावास से जो आठ वर्षों से कम नहीं होगी किंतु जिसे दस वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा तथा उस जुर्माने से जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा किंतु जिसे पाँच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा,

स्पष्टीकरण।– इस धारा के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति ''घोर उपहति'' से वही अभिप्रेत होगा जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का XLV) की धारा–320 में हो।

7 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–35 का विलोपन।– बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–35 (कपट करने के लिए शास्ति) विलोपित किया जायेगा।

8. बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–36 का प्रतिस्थापन।– बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–36 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

''36 नकली शराब का कारोबार करने के लिए शास्ति।– जो कोई भी, किसी नकली शराब का विनिर्माण, विक्रय, भंडारण, वितरण, बोतलबंद, आयात, निर्यात या उसे कब्जे में रखता है या परिवहन करता है वह उस अवधि की कारावास से जो दस वर्षों से कम नहीं होगी किंतु जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा तथा उस जुर्माने से जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगी किंतु जिसे दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडनीय होगा।''

9. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–37 का प्रतिस्थापन।– बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–37 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

''37 शराब उपभोग के लिए शास्ति।– जो कोई इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों, अधिसूचना अथवा आदेश के उल्लंघन में –

(क) किसी स्थान में शराब या मादक द्रव्य का उपभोग करता है; अथवा

(ख) किसी स्थान में नशे में अथवा मदहोश की अवस्था में पाया जाता है; या

(ग) शराब पीकर और नशे की अवस्था में किसी स्थान पर उपद्रव अथवा हिंसा करता है जिसमें उसका अपना घर अथवा परिसर शामिल है; अथवा

(घ) नशे की अनुमति देता है अथवा सरल बनाता है या अपने स्वयं का घर अथवा परिसर में नशेड़ियों को जमा होने की अनुमति देता है :–

दंडनीय होगा

(1) खंड (क) एवं (ख) के अधीन आनेवाले अपराध की दशा में, प्रथम अपराध के लिए, केवल उस जुर्माने से जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा या उसके बदले तीन माह की अवधि के कारावास किंतु खंड (क) एवं (ख) के अधीन आने वाले पश्चात्वर्ती अपराध के लिए उस अवधि की कारावास से जो एक वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जिसे पाँच वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा तथा उस जुर्माने से, जिसे एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा।

(2) खंड (ग) एवं (घ) के अधीन आनेवाले अपराध की दशा में उस अवधि की कारावास से, जो पाँच वर्षों से कम नहीं होगी किंतु जिसे दस वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा तथा उस जुर्माने से, जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा किंतु जिसे पाँच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा।

10. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–38 का विलोपन।–बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–38 (मादक द्रव्य को कब्जा में रखने अथवा कब्जा में रखने की जानकारी के लिए शास्ति) विलोपित किया जायेगा।

11. बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–53 का विलोपन।–बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–53 (पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् विस्तारित दंड) विलोपित किया जायेगा।

12. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–54 का प्रतिस्थापन।–बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–54 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

''54 भू–स्वामियों, भवन स्वामियों तथा अन्य व्यक्तियों की अननुज्ञप्त निर्माण करने, कृषि या उपभोग करने की सूचना देने में विफलता।–

(1) जब कभी शराब या मादक द्रव्य या अन्य उत्पाद शुल्क लगाए जाने योग्य वस्तु का विनिर्माण, विक्रय, भंडारण किया जाता है या बोतलबंदी की या कब्जे में रखी या उपयोग की जाती है या उत्पाद शुल्क लगाए जाने योग्य किसी पौधे की खेती इस अधिनियम के उल्लंघन में, की जाती है तो उस भूमि या भवन का अधिभोगी या उसका एजेंट, जैसे ही उसकी जानकारी में बात आती है, उसकी जानकारी नजदीकी उत्पाद अधिकारी, पुलिस अधिकारी अथवा समाहर्त्ता को देगा।

(2) उक्त भूमि या भवन का अधिभोगी या उसका एजेंट जब कभी उपधारा (1) के अनुसार जानकारी प्रकट करने में असफल रहता है तो वह या वैसे व्यक्ति दो वर्षों की कारावास की अवधि तक के लिए दंडित किए जाने का दायी होगा।''

13. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–56 का प्रतिस्थापन।– बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–56 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

''56 अधिहरण की जा सकने वाली चीजें।– जब कभी कोई ऐसा अपराध कारित किया जाता है जो इस अधिनियम की अधीन दंडनीय हो।–

(क) अवैध रुप से आयातित, परिवहित, विनिर्मित, विक्रय, भंडारण किया गया, कब्जे में रखा गया मादक द्रव्य या शराब, सामग्री, बर्तन, उपकरण, साधित्री, पैकेज या आवरण और या ऐसे मादक द्रव्यों या शराब के भंडारण, विनिर्माण या लेबलिंग के प्रयोजनार्थ ऐसे पात्र, पैकेज या आवरण के अंतर्वस्तुएँ, यदि कोई हो,

(ख) किसी मादक द्रव्य या शराब ढोने के लिए उपयोग मे लाया गया कोई जानवर, जलयान, वाहन या अन्य सवारी, या

(ग) किसी परिसर या उसके भाग जिसका उपयोग किसी शराब या मादक द्रव्य के भंडारण या विनिर्माण के लिए अथवा इस अधिनियम के अधीन अपराध कारित करने के लिए किया गया हो।

इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन विहित रीति से अधिहरण किये जाने का दायी होंगे।

(घ) राज्य सरकार यदि आवश्यक समझे तलाशी, जप्ती और अधिहरण के संबंध में आवश्यक निर्देश, दिशा–निर्देश, विनियमन और अनुदेश निर्गत कर सकेगी।

14. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–62 का प्रतिस्थापन।– बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–62 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

''62 परिसरों का सीलबंद किए जाने के अधीन होना।–यदि किसी उत्पाद पदाधिकारी या किसी पुलिस पदाधिकारी, जो अवर निरीक्षक से अन्यून पंक्ति का हो, को पता चले कि किसी खास परिसर में शराब अथवा कोई मादक द्रव्य अथवा उस परिसर विशेष या उसका कोई हिस्सा इस अधिनियम के अधीन किसी

अपराध को करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है या किया जा रहा है, तो वह तत्काल उस परिसर को सीलबंद कर सकेगा तथा उसके अधिहरण के लिए कलक्टर के पास प्रतिवेदन भेज सकेगा;

परन्तु, यदि उक्त परिसर अस्थायी संरचना हो जिसे प्रभावी ढंग से सीलबंद नहीं किया जा सकता हो, तो उत्पाद पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी, कलक्टर के आदेश से, ऐसे अस्थायी संरचनाओं को ध्वस्त कर सकेगा।''

15. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–64 का विलोपन।–बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–64 (सामूहिक जुर्माना) विलोपित किया जायेगा।

16. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–66 का विलोपन।–बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–66 (कुख्यात अथवा आदतन अपराधियों का निष्कासन आदि) विलोपित किया जायेगा।

17. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–76 की उपधारा (1) के बाद एक परंतुक का अंतःस्थापन।– बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–76 की उपधारा (1) के बाद निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगाः–

''परंतु अधिनियम की धारा–37 की उपधारा (1) के अधीन प्रथम बार किया गया अपराध तथा धारा–54 के अधीन अपराध जमानतीय होगा।''

राजीव कुमार,
प्रभारी सचिव।

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के लागू होने के पश्चात् समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया एवं अन्य माध्यमों से प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही थीं, जिनमें कानून के स्वागत के साथ–साथ इसके कठोर प्रावधानों की भी चर्चा थी। बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के कानूनी एवं व्यावहारिक पहलुओं पर आम जनता एवं प्रबुद्ध लोगों की राय जानने के उद्देश्य से दिनांक 1–2 नवम्बर, 2016 को विज्ञापन प्रकाशित कर ई–मेल, डाक अथवा फैक्स के माध्यम से दिनांक 12 नवम्बर, 2016 तक सुझाव एवं परामर्श आमंत्रित किये गये। अधिनियम के प्रावधानों पर राजनैतिक दलों एवं जनप्रतिनिधियों की राय जानने हेतु एक सर्वदलीय बैठक दिनांक–22.11.2016 को आयोजित की गई। सभी दलों ने राज्य सरकार के शराबबंदी निर्णय का समर्थन करते हुए अधिनियम के दण्ड प्रावधानों पर पुनः विचार करने के साथ ही माननीय न्यायालय में किसी तरह की कानूनी समस्या न हो इसके लिये विधिवेत्ता से राय लिये जाने का सुझाव दिया।

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में आवश्यक संशोधन के लिए एक उच्च–स्तरीय समिति का गठन किया गया। उच्च–स्तरीय समिति के द्वारा भी अधिनियम में संशोधन की अनुशंसा की गई है।

राज्य के नागरिकों की स्वास्थ्य रक्षा और उनकी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान के प्रति सतत् प्रयत्नशील रहना राज्य सरकार का दायित्व है। इसी दायित्व की पूर्ति की कड़ी में राज्य में मद्यनिषेध लागू किया गया है। राज्य के आमजनों, प्रबुद्ध व्यक्तियों, राजनितिक दलों के सुझाव, विधिवेत्ताओं का परामर्श, उच्च–स्तरीय समिति की अनुशंसा तथा मद्यनिषेध के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभवों के आधार पर अधिनियम के विविध प्रावधानों को और स्पष्ट करने, प्रावधानों को लागू करने के क्रम में इसके दुरूपयोग को रोकने एवं इस अधिनियम के तहत प्रावधानित दण्ड को अपराध के समानुपातिक करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि निर्दोष व्यक्तियों को सजा नहीं हो और अपराधियों पर न्याय संगत दण्ड अधिरोपित हो सके।

इसलिए अधिनियम की कतिपय धाराओं में संषोधन, प्रतिस्थापन एवं अन्तःस्थापन अपेक्षित है। एतदर्थ बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में संशोधन हेतु इस विधेयक में कतिपय प्रावधान किये गये हैं जिनको अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य एवं अभीष्ट है।

(बिजेन्द्र प्रसाद यादव)
भार–साधक सदस्य।

राजीव कुमार,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान–सभा।

पटना
दिनांक–23 जुलाई 2018

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 733-571+10 **डी0टी0पी0।**
Website: http://egazette.bih.nic.in